न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः–जीसीएमएस नं. 2021/81

01. कन्हैयालाल पुत्र श्री रामनाथ उम्र 57 वर्ष जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी ग्राम जालसू तहसील आमेर, जिला जयपुर राजस्थान।

––अपीलान्ट

बनाम

01. शंकरलाल पुत्र श्री रामनारायण जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी ग्राम जालसू तहसील आमेर जिला जयपुर राजस्थान।
02. गोपाल पुत्र लादू,
03. लालचन्द पुत्र कल्याण,
04. लाली पुत्री कल्याण,
05. सुरेश पुत्र कल्याण,
06. हनुमान दत्तक पुत्र गोपी,
07. नानादेवी पुत्री रामनारायण,
08. रामेश्वरी पत्नी रामनारायण,
09. लक्ष्मीदेवी पुत्री रामनारायण,
10. सीतादेवी पुत्री रामनारायण, समस्त जाति बागडा ब्राहम्ण निवासीयान ग्राम जालसू तहसील आमेर, जिला जयपुर राजस्थान।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर राजस्थान।

––रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. **श्री राधेश्याम शर्मा एडवोकेट अपीलार्थीगण की ओर से**
2. **श्री गौरीशंकर शर्मा, एडवोकेट, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 12.12.2023

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.02.2021 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है निर्णय अधिनस्थ न्यायालय विधि विधान एवं पत्रावली तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है क्योंकि विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 13/482 की भूमि आज भी अपीलार्थी की खसरा नम्बर 13 की सम्मिलित कब्जे काश्त में है। जिसका अपीलार्थी बिना किसी बांधा व बिना किसी रूकावट के उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है। उक्त भूमि से रेस्पोडेंट नम्बर–1 का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। उक्त भूमि का गत खसरा नम्बर 212 रकबा 2.73 हैक्टेयर है जो पूर्व में रामनाथ पुत्र दूला कौम बागड़ा ब्राहम्ण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज व अंकित थी। इस प्रकार रामनाथ पुत्र दूला के फौत होने पर उक्त भूमि जरिये विरासत अपीलार्थी को प्राप्त हुयी जिसका वर्तमान ख़सरा नम्बर 13 है जो रेस्पोडेंट को किसी प्रकार प्राप्त नहीं हो सकती है।

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण बिन्दू पर कोई गौर न कर केवल कल्पना के आधार पर एकपक्षीय आदेश पारित किया है, जो विधि विधान के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थी को खसरा नम्बर 13/482 के संबंध में कभी भी उक्त भूमि का सीमाज्ञान करने से संबंधित किसी भी तथ्य की जानकारी नहीं होने दी गई बल्कि बाला–बाला ही राजस्व कर्मचारियों से बिना रेस्पोडेन्ट के कब्जे काश्त के अभाव में मिलीभगत कर फर्जी तौर पर अपीलार्थी की बिना जानकारी के सीमाज्ञान की कार्यवाही करवायी गयी है जो प्रारम्भ से ही अपीलार्थी के हक व अधिकारों के विपरित होने से प्रभावशुन्य है तथा उसका कानून में कोई महत्व भी नहीं है। उन्होने कथन किया है कि उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर नहीं है, ना ही अपीलार्थी की मौजूदगी के संबंध में संबंधित राजस्व कर्मचारियों के द्वारा कोई तथ्य अंकित है। जिससे स्पष्ट है कि राजस्व कर्मचारियों द्वारा एकपक्षीय रिर्पोट रेस्पोडेंट की मिलीभगत से कर तैयार की गई है। जिस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय बिना कोई गौर कर केवल मात्र कल्पना के आधार पर एकपक्षीय आदेश पारित किया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि पत्थरगढी से संबंधित प्रार्थना पत्र की जानकारी भी अपीलार्थी को अवगत नहीं होने दिया गया तथा बाला–बाला ही फर्जी नोटिस जारी करवाकर जल्दबाजी में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपना एकपक्षीय आदेश दिनांक 19.02.2021 पारित किया है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि उक्त भूमि का पुराना खसरा नम्बर 212 रकबा 2.73 हैक्टेयर का रिकार्ड अपीलार्थी के पिता रामनाथ पुत्र दूला के नाम से अंकित है। रेस्पोडेंट द्वारा मिलीभगत कर बिना किसी आदेश के खसरा नम्बर 13 की भूमि में नये खसरा नम्बर 13/482 बिना अपीलार्थी की जानकारी के बिना किसी कानूनी आधारों के अंकित करवाकर पत्थरगढी का आदेश प्राप्त किया है जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है यह कि भू प्रबंध विभाग द्वारा की गई उपरोक्त कार्यवाही क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर की गई है जो विधि विरूद्ध की गई है जिस तथ्य पर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया है एवं ना ऐसा कोई उल्लेख भी अपने आदेश मे अंकित किया है जिससे उक्त आदेश अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि से दूषित होने के कारण उक्त एकपक्षीय आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त आदेश बिना अपीलार्थी की उपस्थिति में व बिना अपीलार्थी को सुने एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है जबकि यह कानून का सर्वमान्य सिद्धान्त है कि दूसरे पक्ष को सुनना चाहिये तथा सुनकर दोनों पक्षो की उपस्थिति में ही निर्णय पारित किया जाना न्याय के सिद्धान्त के अनुकुल है। जिसके अभाव में पारित किया गया निर्णय

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने यह भी कथन किया है कि दिनांक 15.01.2021 की तारीख के कोई नोटिस अपीलार्थी को नहीं मिले, ना ही उक्त प्रकरण की जानकारी अपीलार्थी को हुयी तथा मनमाने तौर पर रिकार्ड के विपरित जाकर अधिनस्थ न्यायालय ने बिना जांच किये ही आलोच्य आदेश पारित किया है तथा दिनांक 29.01.2021 को एकपक्षीय कार्यवाही अपीलार्थी के विरूद्व गलत आधारों पर की गई जो निरंस्तनीय है तथा उक्त आदेश विधि विरूद्व है। कानून का सर्वमान्य सिद्वान्त है कि पत्थरगढी व सीमाज्ञान से संबंधित मामलो में अन्य पास वाले खेत के काश्तकार को सुना जाना आवश्यक है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस ओर भी कोई ध्यान दिये बिना ही आलोच्य आदेश दिनांक 19.02.2021 पारित किया जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि दिनांक 18.03.2021 को रेस्पोडेंट ने अपीलार्थी को धमकी दी कि उक्त भूमि खसरा नम्बर 13/482 जो अपीलार्थी के कब्जे काश्त की है, जो खसरा नम्बर 13 की मिली हुई भूमि हमारे नाम है तथा कब्जा खाली करने की धमकी दी तथा पत्थरगढी के आदेश होने की कही जिस पर अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर के कार्यालय में जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि रेस्पोडेंट नम्बर–1 द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व एकपक्षीय आदेश, बिना अपीलार्थी की जानकारी के प्राप्त कर लिये है जिसकी नकल अपीलार्थी के द्वारा ली गई जिससे रेस्पोडेंट नम्बर 1 के कृत्यों की जानकारी होने पर अपील अवधि मध्य पेश है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.02.2021 को निरस्त किये जान की आज्ञा प्रदान की जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि खसरा नम्बर 13/482 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 8/1 रकबा 0.67 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 12 रकबा 0.43 हैक्टयर वाके ग्राम जालसू पटवार हल्का जालसू, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जालसू, तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित है, जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का खसरा नम्बर 13/482, 8/1 में 1/5 हिस्सा व खसरा नम्बर 12 में 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार हैं तथा प्रत्येक खातेदार काश्तकारान को अपनी आराजी व फसल इत्यादि की सुरक्षार्थ सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाने के अधिकार कानूनन प्रदत्त है। उन्ही अधिकारों के तहत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपनी उक्त आराजी खसरा नम्बरान का सीमाज्ञान पूर्व में दिनांक 06–12–2019 को उप तहसीलदार जालसू के आदेश क्रमांक भू.अ./2019/1383 दिनांक 14/11/2019 के द्वारा उक्त भूमि का कराया जा चुका हैं तथा उप तहसीलदार के आदेशानुसार हुए सीमाज्ञान दिनांक 06/12/2019 के अनुसार पत्थरगढ़ी करवाने हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 128 सपठित धारा 111 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पड़ौसी खातेदारान को पक्षकार संयोजित कर पेश किया गया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में पडौसी खातेदारान को नोटिस जारी करने के पश्चात् ही अपीलाधीन आदेश दिनांक

P.T.O.

संभागीय [illegible]
जयपुर

19.02.2021 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं तथ्यों का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि प्रत्येक खातेदार को अपनी भूमि का सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी करवाने के अधिकार भू–राजस्व अधिनियम में प्रदत्त किये गये है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपनी स्वयं की आराजी का दिनांक 06.12.2019 को सीमाज्ञान करवाया गया तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपनी आराजी की उक्त सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढ़ी हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी एवं अन्य खातेदारान को नोटिस भी जारी किये गये है किन्तु अपीलार्थी और अन्य खातेदार बावजूद तामील न्यायालय में उपस्थित नही हुए है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तो पत्थरगढ़ी की कार्यवाही से पूर्व पड़ौसी खातेदारान को विधिवत नोटिस व सूचना दिया जाकर उभयपक्ष की उपस्थित में पत्थरगढ़ी सम्पादित कराने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.02.2021 पारित किये गये है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि नही की गई है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.02.2021 को यथावत रखा जाता है।

(डॉ0 आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 12.12.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर